

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ११२ / 2021 दिनांक : २७.०४.२०२१

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रबोध, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 11.
(3) न्याय/2002. दिनांक 08.09.2005 सपष्टित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.20100 में दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुजेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुभार अधोनिखित नामिकानुभार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रतिष्ठी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	श्री रनवीर सिंह (RJ0810). वरिष्ठ मिविल न्यायाधीश एवं अनि. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किंगया अधिकरण), कोटा ।	30	2020 - 2022	15.04.2021

आज्ञा से,

रजिस्ट्रर (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.वी. २(४)/१२/२०१३/२७७३

दिनांक २८.०४.२०२१

प्रतिनिधि निम्न को गूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपिन है :-

1. प्रमुख शामन मन्त्रिव. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं मेशन न्यायाधीश, कोटा ।
3. श्री रनवीर सिंह (RJ0810). वरिष्ठ मिविल न्यायाधीश एवं अनि. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किंगया अधिकरण), कोटा ।

रजिस्ट्रर (वर्गीकरण), 27.04.2021

1 अप्रृष्ट
27/4/2021 105
राजस्थान उच्च न्यायालय